

5 अप्रैल, 2019.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद् कार्यालय सुबाथू में अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23-4-2019 को 11:30 बजे छावनी परिषद् कार्यालय सुबाथू में सुबाथू छावनी में प्रवेश होने वाले वाहनों पर लाईसैस फीस को दिनांक 01.05.2019 से 31.03.2020 तक 11 माह की अवधि के लिए नीलाम किया जायेगा।

शर्तें

1. लाईसैस फीस की दरें निम्नलिखित हैं जिसकी उगाही ठेकेदार द्वारा की जायेगी :-

(क) व्यक्तिगत/निजी कार	-	10/-रूपये
(ख) श्री व्हीलर (खाली/भरा)	-	30/-रूपये
(ग) टैक्टर ट्रौली सहित (खाली/भरा)	-	40/-रूपये
(घ) टैक्सी/पीक-अप/व्यवसायिक वाहन-	-	40/-रूपये
(ङ) टैम्पू/ट्रैवलर	-	60/-रूपये
(च) बस (खाली/भरी)	-	90/-रूपये
(छ) ट्रक 6 टायर	-	120/-रूपये
(ज) ट्रक 6 टायरों से अधिक वाले	-	120/-रूपये
(झ) भूमि खुदाई की मशीनें	-	120/-रूपये

— 24 घन्टे के लिए

छावनी निवासियों के सभी वाहन इस प्रवेश शुल्क से मुक्त होंगे।

2. सुबाथू छावनी क्षेत्र में सरकारी/अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी/नौकरी/व्यवसाय करने आने वाले व्यक्तियों को; जिनके पास अपने व्यक्तिगत वाहन (स्कूटर/मोटरसाईकिल/निजी कार) हैं, से ठेकेदार निम्नलिखित निर्धारित फीस वसूल करके 31.03.2020 तक बैरियर पास जारी करेगा:-

(क) व्यक्तिगत/निजी कार - 500/-रूपये — उक्त अवधि के लिए (अर्थात 31.03.2020 तक)

बशर्ते कि वाहन का पंजीकरण सम्बन्धित व्यक्ति के नाम पर हो।

लाईसैस फीस ठेकेदार के मांगने पर उक्त पास दिखाना अनिवार्य होगा, यदि उक्त ठेकेदार को यह पास नहीं दिखाया जाता है तो वह चालक से अन्य वाहनों की भांति उपरोक्त पैरा संख्या-1 में दर्शाई गई दरों के अनुसार फीस वसूल करेगा।

3. निम्नलिखित वाहनों के प्रवेश हेतु लाईसैस फीस/पार्किंग फीस नहीं ली जायेगी :-

- रक्षा मंत्रालयों व रक्षा अधिकारियों के वाहनों से ;
- एम्बुलैन्स से;
- सरकारी कार्य हेतु उपयोग होने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकारों के वाहनों से;

- (iv) छावनी परिषद् कर्मचारियों और उनके पति/पत्नियों व माता पिता के निजी वाहनों से तथा छावनी परिषद् के कानूनी सलाहकर के वाहन से जिस समबन्ध परिचय पत्र दिखाना होगा;
- (v) अन्य छावनी परिषद् के वर्तमान निर्वाचित सदस्यों के वाहनों से;
- (vi) भूतपूर्व सैनिकों के एक-एक व्यक्तिगत वाहनों (जिनका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य हेतु न किया गया हो) से;
- (vii) शव लाने और ले जाने वाले वाहनों से ।

4. उपरोक्त पैरा (2) तथा (3) में दर्शाये गए वाहनों के दस्तावेज/पास ठेकेदार द्वारा मांगने पर उन्हें दिखाने होंगे अन्यथा उनके मालिकों/चालकों से पैरा (1) में दर्शाई गई फीस ठेकेदार द्वारा वसूल की जायेगी ।

5. इच्छुक व्यक्ति को बोली देने से पहले पंजीकरण करवाना होगा तथा चरित्र प्रमाण पत्र व 5,000/- रूपये पंजीकरण शुल्क जमा करवाना होगा । पंजीकृत व्यक्ति को बोली देने से पहले 1,00,000/- रूपये (एक लाख रूपये) केवल नकद राशि धरोहर/जमानत के रूप में जमा करवानी होगी जिसके लिए छावनी परिषद् कार्यालय द्वारा छावनी 4-ख रसीद जारी की जायेगी । यह राशि बोली में सफल/असफल रहे सभी व्यक्तियों को बाद में (शर्तों के अनुसार) वापिस कर दी जायेगी ।

6. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त ठेके का लीज रैन्ट छावनी परिषद् सुबाथू को 04 (चार) बराबर निम्नलिखित किस्तों में जमा करवाना सुनिश्चित करेगा :-

प्रथम किस्त	बोली छूटने के 7 दिनों के अन्दर जमा करवानी होगी;
द्वितीयकिस्त	01.07.2019 से 31.07.2019 तक जमा करवानी होगी;
तृतीय किस्त	01.10.2019 से 31.10.2019 तक जमा करवानी होगी;
चौथी किस्त	01.01.2020 से 31.01.2020 तक जमा करवानी होगी;

8. अधिकतम बोली दाता को बोली की पूरी राशि का 10% प्रतिशत भाग जमानत के रूप में बोली छूटते ही जमा करवानी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जब्त कर ली जायेगी । यदि अधिकतम बोली स्वीकार नहीं की जाती है तो अधिकतम बोलीदाता द्वारा बोली छूटने पर जमा करवाई गई समस्त राशि उसे बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी । यह जमानत की राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक यह ठेका समाप्त नहीं हो जाता । जमानत की राशि को 100/- रूपये की निकटतम राशि में स्वीकार किया जायेगा ।

9. अधिकतम बोलीदाता को आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act-1961) के प्रावधानों के अन्तर्गत उच्चतम बोली पर 2% TDS/TCS का भुगतान छावनी परिषद् कार्यालय को करना अनिवार्य होगा ।

10. चैक पोस्ट/बैरियर छावनी परिषद् सुबाथू देगा तथा इन चैक पोस्टों/बैरियरों में बिजली के कुनैक्शन छावनी परिषद् सुबाथू उपलब्ध करवायेगी लेकिन उनसे सम्बन्धित बिलों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा इन चैक पोस्टों /बैरियरों में बिजली /पानी की सुविधा ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवानी होगी ।

11. यदि अधिकतम बोलीदाता अपनी उच्चतम बोली स्वीकार होने के बाद ठेके की समाप्ति से पहले ठेका छोड़ता है तो उक्त ठेके को उसके जोखिम व लागत पर दुबारा नीलाम कर दिया जायेगा और उसके द्वारा जमा करवाई गई जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
12. अधिकतम बोली अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार की जायेगी जो कि उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक छावनी परिषद् सुबाथू द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता । छावनी परिषद् सुबाथू को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है उस स्थिति में अधिकतम बोली दाता द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि उसे बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जायेगी ।
13. अधिकतम बोली दाता को छावनी परिषद् सुबाथू के साथ उपयुक्त कीमत का नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो उस व्यक्ति के नाम का होगा, जिस द्वारा अनुबन्ध (एग्रीमेंट) करना होगा । यह अनुबन्ध उसे बोली की स्वीकृति एवं पुष्टि की सूचना के 07 (सात) दिनों के अन्दर-अन्दर करना होगा ।
14. इस सार्वजनिक सूचना में वर्णित शर्तें अनुबन्ध का हिस्सा मानी जायेगी ।
15. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त ठेके को किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः या अंशत उप पट्टे पर देने का हकदार नहीं है चाहे वह उप-पट्टे के रूप में हो या अन्यथा ।
16. अधिकतम बोली दाता /ठेकेदार चैक पोस्टों/बैरियरों के आस-पास क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखेगा ताकि यात्रियों और आस-पास के लोगों को कोई असुविधा न हों । वह छावनी परिषद् के सभी नियमों तथा उप-नियमों का पालन करेगा, उसे सभी प्रकार के करों जो कि किसी विधिसंगत प्राधिकार द्वारा लगाए गए हों, की अदायगी करनी होगी ।
18. अधिकतम बोली दाता /ठेकेदार चैक पोस्टों/बैरियरों में अद्योहस्ताक्षरी की लिखित आज्ञा के बिना कोई निर्माण या संशोधन नहीं करेगा ।
19. कोई भी व्यक्ति जो छावनी परिषद् सुबाथू का ऋणी है को बोली देने का अधिकार नहीं होगा ।
20. (क) यदि सफल बोली दाता बोली देने के पश्चात बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ;
(ख) यदि सफल बोली दाता नीलामी की शर्तों से पीछे हटता है या अपने द्वारा दी गई अधिकतम बोली को किसी भी समय अस्वीकार करता है या ठेके को बीच में छोड़ता है तो उसकी जमानत की पूरी राशि तथा उसके द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी ।
21. यदि सफल बोली दाता बोली देकर बोली छुटने के सात दिनों के भीतर बोली की राशि की प्रथम किस्त जमा नहीं करवाता है तो वह भविष्य में छावनी परिषद् कार्यालय द्वारा करवाई जाने वाली किसी भी नीलामी में हिस्सा/भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।
22. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शर्त होगी तो वह नीलामी शुरू होने से पहले सुना दी जायेगी ।
23. अनुबन्ध की शर्तें, टैंडर नोटिस व अन्य दस्तावेज जो कि इस ठेके से सम्बन्धित है, ऐसे सभी प्रपत्र इस ठेके के अनिवार्य भाग हैं।

24. बोली में सफल ठेकेदार को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह, बैरियर से छावनी क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री ला रहे वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा।

25. ठेके के लिए न्यूनतम शुरूआती बोली 76,00,000/-रूपये के बराबर या अधिक से आरम्भ की जाएगी।



मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, सुबाथू

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी, कसौली/डगशाई/जुतोग। - सूचनार्थ तथा अपने से सम्बन्धित छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु।
2. सचिव, नगरपालिका, सोलन/नालागढ़। - सूचनार्थ एवं मुनादी करवाने हेतु।
3. प्रधान, ग्राम पंचायत, धर्मपुर/कक्ड़हट्टी। - -तदैव-
4. सफाई निरीक्षक, छावनी परिषद, सुबाथू। - समस्त छावनी क्षेत्र में लाउडस्पीकर द्वारा मुनादी करवाने हेतु।
5. समस्त निर्वाचित सदस्य, छावनी परिषद, सुबाथू - सूचनार्थ हेतु।
6. समस्त सूचना पट्ट।
7. नीलामी रजिस्टर।
8. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, छावनी परिषद, सुबाथू करें। - छावनी परिषद, सुबाथू की वैबसाईट पर अपलोड करें।
9. कर शाखा, छावनी परिषद, सुबाथू - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, सुबाथू